

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-गम्भीरपुर

गोवध का वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वॉछित , इनामिया

अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध असलाहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में वरिष्ठ उ०नि० नवल किशोर सिंह मय हमराह क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की पूर्व में गोवध की घटना में वांछित अभियुक्त भोनी नट पुत्र मुख्तार नट निवासी ग्राम भनसारी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ अपने घर से गोसाई की बाजार की तरफ आने वाला है । इस सूचना पर उ०नि० नवल किशोर सिंह मय हमराहियान को साथ लेकर गोसाई की बाजार से मेहनगर को जाने वाली सड़क पर अहिरौली मोड़ पर आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे कि एक व्यक्ति मेहनगर की तरफ से आता हुआ दिखायी दिया । पास आने पर उक्त व्यक्ति को रोका गया तो पुलिस बल को देखकर पीछे मुड़कर भागना चाहा पुलिस द्वारा घिरता देख अपने पास लिए असलहे से पुलिस पार्टी पर जान सें मारने की नियत से फायर कर दिया । पुलिस पार्टी द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाव कर भाग रहे अभियुक्त को एक बारगी घेरकर आवश्यक बल प्रयोग समय करीब 05.10 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम भोनी नट S/O मुख्तार नट सा० भनसारी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ बताया । मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 118/21 धारा 307 भादवि व 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त थाना स्थानीय के अ०स० 155/20 धारा 3/5/8 गोवध नि० अधिनियम का वांछित अभियुक्त है । अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

भोनी नट S/O मुख्तार नट सा० भनसारी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०स०-118/21 धारा 307 भादवि व 3/25 A ACT थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स०-155/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

2. मु०अ०स०-118/21 धारा 307 भादवि व 3/25 A ACT थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी

एक अदद कट्टा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस, व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० नवल किशोर सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

2. उ०नि० हरिचरण यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

3. हे०का० इन्द्रपाल यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

4. का० सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

5. का० उदयभान गुप्ता थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।